राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेक्टीफिकेशन संख्या 97, 98 व 99/2014.....जिला..... .जयपुर.....

उनवान–मै. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान द्वितीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2015	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री टी.सी. जैन,अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों संशोधन प्रार्थना पत्र राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड की इसी पीठ द्वारा अपील संख्या 1756, 1757 व 1758/2014./जयपुर में दिनांक 17.11.2014 को दिये गये स्थगन में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किये गये,जिसमें एकलपीठ द्वारा निम्न तालिका के अनुसार आवेदित राशियों की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन पर आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा था :– को पर स्थगन प्रदान करते हुए "लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है।"	

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1756/14	5,97,4743/–	3,00,000/–	2,97,474/–
1757/14	5,59,877/–	2,65,000/–	2,94,877/–
1758/14	5,78,111/–	2,50,000/–	3,28,111/–

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी भारत सरकार का एक उपक्रम में जिसे अधिनियम के अन्तर्गत उसे सिक्योरिटी बॉण्ड देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उक्त कथन पर स्थगन आदेश दिनांक 17.11.2014 में संशोधन करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड के आदेश दिनांक 17.11.2014 का समर्थन किया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन

किया गया। राजस्थान वित्त अधिनियम,2011 (अधिनियम नम्बर 15/2011) के द्वारा निम्न प्रावधान किया गया है :–

"Provided further that no security under this section shall be requyired to be furnsheds by a department of the Central Government or the State Government or a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the Central Government or the State Government."

उक्त प्रावधानों के पठन से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग, कारपोरेशन अथवा वह कम्पनी जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होती हो, उनको सिक्योंरिटी देने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलार्थी भारत सरकार का उपक्रम है और उक्त प्रावधानों के अनुसार उसे सिक्यूरिटी देने की आवश्यकता है। उक्त प्रावधानों के अनुसार स्थगन आदेश में रिकार्ड से परिलिक्षित भूल है इसलिए संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर स्थगन आदेश में अंकित " निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत **(Adequate Security)** प्रस्तुत करने की शर्त" को विलोपित किया जाता है तथा शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य